<u>संख्या- 60/2018/2209/33-3-2018-212/2017</u>

प्रेषक,

प्रवीण कुमार लक्षकार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

<u>पंचायती राज अनुभाग-3</u> **<u>लखनऊ: दिनांक: 05 जुलाई, 2018</u>**

विषय:- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत रू. 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5/617/2018-(5)आर.जी.एस.ए./58/2018 दिनांक 10.04.2018 एवं पत्र संख्या-5/683/2018-5/20/2017 दिनांक 05.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत रू. 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-21- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू. 2000.00 लाख (रू. बीस करोड़ मात्र) को निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त किया जाता है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी, जिन मदों के लिए इसकी स्वीकृति दी जा रही है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि की पुनरावृत्ति/दुरावृत्ति न हो।

(4) प्रशासनिक मद में न्यूनतम धनराशि का ही व्यय किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि किसी भी दशा में आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(7) धनराशि कोषागार से तभी आहरित की जायेगी जब इसके व्यय की तात्कालिक आवश्यकता हो।

(8) मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-81/2017 /33-3-2017-212/2017 दिनांक 20.09.2017 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू.ओ.ई-2-729/10-18 दिनांक 05.07.2018 द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in